कार्यालय जिलाधिकारी –पिथौरागढ़।

विज्ञप्ति. आवेदन की अन्तिम तिथि–10.11.2015

संख्या– 266 / सात–99 / 2015–16 दिनांक अक्टूबर 09, 2015

उत्तराखण्ड शासन, राजस्व अनुभाग–1 के शासनादेश सं0 1381 / XVIII(1) / 2015–04 / 2007 दिनांक 24.09.2015 द्वारा प्राप्त स्वीकृति के आधार पर जनपद पिथौरागढ़ में राजस्व उप निरीक्षक (पटवारी) के रिक्त 69 पदों पर अभ्यर्थियों का पटवारी प्रशिक्षण में प्रवेश हेतु चयन किया जाना है। चयन हेतु संलग्न निर्धारित प्रारूप पर दिनांक 10 नवम्बर, 2015 को अपराहन् 5:00 बजे तक जिलाधिकारी कार्यालय पिथौरागढ़ में निम्न अर्हता रखने वाले अभ्यर्थियों से पंजीकृत डाक द्वारा आवेदन पत्र आंमत्रित किये जाते हैं। आवेदन पत्र के साथ निर्धारित शुल्क प्राप्त न होने, शैक्षिक योग्यता एवं जाति के समर्थन में अपेक्षित प्रमाण पत्र संलग्न न किये जाने, घोषणा पर हस्ताक्षर न करने एवं अपूर्ण आवेदन पत्र प्रेषित करने आदि पर अभ्यर्थी का आवेदन पत्र एवं अभ्यर्थन निरस्त किया जायेगा। दिनांक 10 नवम्बर, 2015 के अपराहन् 5:00 बजे के पश्चात् प्राप्त आवेदन पत्र स्वीकार्य नहीं किये जायेंगे। अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र जमा करने वाले लिफाफे के ऊपर विज्ञापन संख्या तथा ''राजस्व उप निरीक्षक (पटवारी) पद के प्रशिक्षण के चयन हेतु आवेदन'' एवं जनपद का नाम अवश्य लिखा होना चाहिए।

आवेदन हेतु सामान्य शर्ते–

1. अभ्यर्थी भारत का नागरिक हो।
2. पटवारी प्रशिक्षण में चयन हेतु अभ्यर्थी की आयु दिनांक 01.07.2015 को 21 वर्ष से कम तथा 28 वर्ष से अधिक न हो।

   (अ) अधिकतम आयु में वर्तमान में प्रचलित शासनादेशों के अनुसार उत्तराखण्ड के अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट अनुमन्य है।

   (ख) उत्तराखण्ड स्वतंत्रता सेनानी के आश्रित से सम्बन्धित अभ्यर्थियों के लिए उच्चतम आयु सीमा में प्रचलित शासनादेशों के अनुसार 05 वर्ष की छूट अनुमन्य है।

   (ग) उत्तराखण्ड के पूर्व सैनिक के अपनी वास्तविक आयु में से सशस्त्र सेना में अपनी सेवा की अवधि कम करने की अनुमति दी जायेगी और यदि परिणामजन्य आयु उस पद / सेवा के निमित्त, जिसके लिए यह नियुक्ति का इच्छुक हो, विहित अधिकतम आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो तो यह समझा जायेगा कि वह उच्च आयु सीमा से सम्बन्धित शर्त को पूरा करता है। (नियमावली 1977 के अनुसार)

   नोट – जो अभ्यर्थी आयु में छूट का दावा करेंगे वे तत्संबंधी प्रमाण–पत्र भी अवश्य संलग्न करेंगे अन्यथा उच्चतम् आयु सीमा में छूट अनुमन्य नहीं होगी।
3. अभ्यर्थी केवल एक ही पद (पटवारी) के लिए तथा एक ही जनपद में आवेदन कर सकेगा।
4. शौक्षिक योग्यता– राजस्व उप निरीक्षक (पटवारी) प्रशिक्षण हेतु सीधी भर्ती से चयन के लिए अभ्यर्थी की शैक्षिक योग्यता विधि द्वारा स्थापित किसी विश्व विद्यालय से स्नातक की उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त शैक्षणिक अर्हता होनी आवश्यक है।
5. अभ्यर्थी का नाम प्रदेश के किसी भी जनपद के सेवायोजन कार्यालय में आवेदन की अंतिम तिथि तक पंजीकृत होना आवश्यक है, अन्यथा अभ्यर्थी का अभ्यर्थन निरस्त समझा जायेगा। (पंजीयन कार्ड की सत्यापित छायाप्रति संलग्न करना भी आवश्यक है)।
6. आवेदन शुल्क सामान्य जाति के अभ्यर्थियों से ₹ 300 तथा अनुसूचित जाति / जनजाति के अभ्यर्थियों से ₹ 150 के लिए बैंक ड्राफ्ट / पोस्टल आर्डर जो जिलाधिकारी पिथौरागढ़ के नाम देय हो, संलग्न करना अनिवार्य है।
7. अभ्यर्थी का अभ्यर्थन निरस्त किये जाने पर अभ्यर्थी द्वारा कोई पत्र व्यवहार नही किया जायेगा तथा अभ्यर्थन निरस्त होने के पश्चात कोई दावा मान्य नही होगा।
8. निर्धारित प्रारूप में ही आवेदन पत्र स्वीकार किये जायेंगे अन्यथा अभ्यर्थन निरस्त समझा जायेगा।
9. आवेदन पत्र के साथ सभी पुष्टिकारक शैक्षिक योग्यता सम्बन्धी हाईस्कूल,इण्टरमिडिएट एवं स्नातक के सत्यापित प्रमाण पत्र एवम् अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वग की दशा मेें जाति प्रमाण पत्र, सेवायोजन पंजीकरण प्रमाण पत्र, सेवायोजक द्वारा आवेदन पत्र पर यथास्थान अग्रसारित, अधिमानी अर्हता यदि कोई हो, तो उससे सम्बन्धित प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रतिलिपि संलग्न करना अनिवार्य है।
10. शारीरिक मानक – पुरूष अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊँचाई 168 सेमी0 व महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम 152 सेमी0 अनिवार्य होगी। पर्वतीय मूल के अभ्यर्थियों को 5 सेमी0 की छूट अनुमन्य होगी। पुरूष अभ्यर्थियों के लिए सीना फुलाव के साथ 84 सेमी0, जिसमें न्यूनतम 5 सेमी0 फुलाव अनिवार्य होगा। पर्वतीय मूल के अभ्यर्थियों को 5 सेमी0 की छूट अनुमन्य होगी। महिला अभ्यर्थियों का वजन न्यूनतम 45 कि0ग्रा0 होना चाहिए।
11. शारीरिक परीक्षा में सफल होने के लिए पुरूष को 60 मिनट में 10 किलोमीटर और महिला अभ्यर्थियों को 35 मिनट में 5 किलोमीटर दौड़ना आवश्यक होगा।
12. शारीरिक परीक्षा में सफल अभ्यर्थी ही लिखित परीक्षा में सम्मिलित हो सकेगा।
13. शारीरिक एवं लिखित परीक्षा का विवरण एवं पाठ्यक्रम जनपद की वेवसाइड– www.pithoragarh.nic.in पर उपलब्ध है।

14. आरक्षण – पदों पर आरक्षण की गणना वर्तमान में प्रचलित शासनादेश के अनुसार उत्तराखण्ड राज्य के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं क्षैतिज आरक्षण उत्तराखण्ड राज्य के महिला, भूतपूर्व सैनिक, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रितों हेतु की गयी है।

15. जनपद की रिक्तियों का विवरण निम्नवत् हैः–

अनुसूचित जाति	अनुसूचित जाति (महिला)	अनुसूचित जनजाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	अन्य पिछड़ा वर्ग (महिला)	अनारक्षित	अनारक्षित (महिला)	अनारक्षित (भूतपूर्व सैनिक)	अनारक्षित (स्व0सं0सेना0 आश्रित)	कुल योग
06	03	01	06	03	31	15	03	01	69

जिलाधिकारी,
पिथौरागढ़।

आवेदन पत्र

विज्ञप्ति संख्या .... आवेदन पत्र प्राप्ति की अन्तिम तिथि–10 नवम्बर 2015

पासपोर्ट साईज फोटोग्राफ, जो राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित किया गया हो।

1. आवेदित पद का नाम–
(उम्मीदवार स्वयं लिखे)

2. आवेदक का नाम–
(अ) हिन्दी में – ....
(ब) अंग्रेजी में – ....

3. पिता/पति का नाम– ....

4. निवास स्थान–

5. जन्मतिथि– (क) (हाईस्कूल प्रमाणपत्र के अनुसार) अंको में ....
शब्दों में...
(ख) दिनांक 01.07.2015 को आयु – वर्ष .... माह .... दिन........................

6. मूल एवं स्थाई निवास–ग्राम................................पोस्ट..............................पटवारी क्षेत्र ....
तहसील..................................जनपद ....

7. पत्र व्यवहार का पता – ....
(पिन कोड सहित) ....
....

8. (क) सेवायोजन कार्यालय का नाम ....
(ख) सेवायोजन कार्यालय की पंजीयन संख्या .... दिनांक ....

9. शैक्षिक योग्यता –

क्र0सं0	संस्था का नाम	उत्तीर्ण करने का वर्ष	पूर्णांक	प्राप्तांक	श्रेणी	प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7
1. हाई स्कूल						
2. इण्टरमीडिएट						
3. स्नातक						
4. अन्य						

10. अभ्यर्थी यदि कोई अधिमानी अर्हता धारित करता है ? – हॉ/नहीं.....................................

11. अन्य विवरण/अधिमानी अर्हता (यदि कोई हो तो तत्सम्बन्धी प्रमाण पत्र संलग्न करें)................................

12. अभ्यर्थी की श्रेणी – (आरक्षित/अनारक्षित)..

13. जाति – अनुसूचित जाति/जनजाति/पिछड़ा वर्ग/अन्य ....
(प्रमाण पत्र संलग्न करें)

14. क्षैतिज आरक्षण – महिला/भूतपूर्व सैनिक और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित। ....

15. वैवाहिक स्थिति (विवाहित/अविवाहित) –..

16. यदि अभ्यर्थी किसी सरकारी विभाग में सेवारत हो तो सम्बन्धित विभाग के विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष/सक्षम प्राधिकारी द्वारा आवेदन पत्र अग्रसारित कराया जाना अनिवार्य होगा। सक्षम अधिकारी का इस आशय का अनापत्ति प्रमाण पत्र भी संलग्न किया जायेगा कि चयनोपरान्त अवमुक्त करने में कोई कठिनाई एवं विधिक आपत्ति नहीं होगी।

अग्रसारित हस्ताक्षर सक्षम प्राधिकारी (कार्यालय की मुहर)

17. आवेदन शुल्क .... बैंक ड्राफ्ट/पोस्टल ऑर्डर संख्या ....दिनांक .... धनराशि ....

18. राष्ट्रीय खेलों में दक्षता प्राप्त –...

(क) राष्ट्रीय स्तर (ख) राज्य स्तर (ग) जिला स्तर (प्रमाण पत्र संलग्न करें)

19. अभ्यर्थी द्वारा निर्धारित स्थानों पर एवं घोषणा में यथास्थान हस्ताक्षर न किये जाने पर आवेदन पत्र निरस्त समझा जायेगा।

20. संलग्नकों की कुल संख्या–....................

हस्ताक्षर

(आवेदक का पूरा नाम)

घोषणा

मैं.. घोषणा करता/करती हूँ कि उपरोक्त आवेदन पत्र में अंकित समस्त सूचनाऐं मेरी जानकारी एवं विश्वास से सही एवं सत्य हैं। यदि भविष्य में उपरोक्त लिखित कोई भी जानकारी या बात मिथ्या या गलत अथवा फर्जी पायी जाती है या मैं कोई प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने में सक्षम नहीं हो पाता/पाती हूँ या प्रमाण पत्र में कोई त्रुटि हो, तो मेरा अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाय। यदि उपरोक्त तथ्य विभाग में नियुक्ति ग्रहण करने के पश्चात भी सामने आते हैं, जिससे मैं अयोग्य पाया जाता/जाती हूँ तो सम्बन्धित नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा मेरा चयन/नियुक्ति निरस्त कर दी जाय। किसी भी मित्या या गलत अथवा फर्जी जानकारी देने की स्थिति में मेरे विरूद्ध विधिक कार्यवाही भी की जा सकती है। चयन के सम्बन्ध में सम्बन्धित नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा लिया गया निर्णय अन्तिम होगा और मैं उस निर्णय को मानने को बाध्य होऊंगा/होऊंगी तथा कोई भी दावा प्रस्तुत नहीं करूंगा/करूंगी।

हस्ताक्षर

(आवेदक का पूरा नाम)

प्रवेश पत्र

अनुक्रमांक ....

पासपोर्ट साईज फोटो चिपकायें

श्री .... पुत्र श्री ....निवासी ग्राम ....पटवारी वृत ....तहसील ....जिला .... उत्तराखण्ड को दिनांक 27 दिसम्बर, 2015 को पूर्वाहन् 10:00 बजे से अपरान्ह 1:00 बजे तक परीक्षा केन्द्र .... में राजस्व उप निरीक्षक (पटवारी) के रिक्त पदों के प्रशिक्षण हेतु सम्पन्न होने वाली प्रतियोगितात्मक परीक्षा में सम्मिलित होने की एतद्द्वारा अनुमति प्रदान की जाती है।

हस्ताक्षर

* शारीरिक परीक्षा हेत यह प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य है।

जिलाधिकारी पिथौरागढ।

पटवारी प्रशिक्षण चयन हेतु अभ्यर्थियों के लिए निर्देश :–

1. आवेदन पत्र के साथ ₹ 5.00 के टिकट लगे हुए आवेदक के स्वयं के पते लिखे हुए तीन लिफाफे तथा एक पोस्टकार्ड संलग्न करना आवश्यक है।
2. आवेदन पत्र दिनांक 10 नवम्बर, 2015 को अपरान्ह 5:00 बजे तक केवल पंजीकृत डाक से जिलाधिकारी कार्यालय पिथौरागढ़ में प्राप्त हो जाने चाहिए। उक्त तिथि तथा समय के पश्चात प्राप्त आवेदन पत्रों पर किसी भी दशा में विचार नहीं किया जायेगा।
3. आवेदन पत्र में निर्धारित स्थानों पर नवीनतम् पासपोर्ट साईज के फोटो चस्पा किये जायं, जो राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित हो।
4. एक लिफाफे में एक से अधिक आवेदन पत्र पाये जाने पर सभी आवेदन पत्र अस्वीकृत कर दिये जायेंगे।
5. राजस्व उप निरीक्षक (पटवारी) प्रशिक्षण हेतु चयन परीक्षा दो चरणों में शारीरिक दक्षता एवं लिखित परीक्षा के रूप में आहूत की जायेगी। शारीरिक परीक्षा में सफल अभ्यर्थी ही लिखित परीक्षा हेतु अर्ह होगा।
6. अन्तिम तिथि के बाद प्राप्त आवेदन पत्रों पर किसी भी दशा में विचार नही किया जायेगा। अपूर्ण, अस्पष्ट, भ्रामक एवं त्रुटिपूर्ण आवेदन पत्र तथा ऐसे आवेदन पत्र जिस पर अभ्यर्थी के हस्ताक्षर नही हैं, समयान्तर्गत प्राप्त होने के बावजूद भी सरसरी तौर पर अस्वीकृत कर दिये जायेंगे। डाक द्वारा विलम्ब से प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों के लिए जिलाधिकारी कार्यालय जिम्मेदार नही होगा तथा अन्तिम तिथि को निर्धारित समय के उपरान्त प्राप्त आवेदन पत्रों को निरस्त कर दिया जायेगा।
7. आवेदन पत्र प्राप्त होने के पश्चात जांच में अपूर्ण, असत्य एवं भ्रामक प्रविष्टियां पाये जाने पर आवेदन पत्र प्रथम दृष्ट्या निरस्त किये जायेंगे।
8. उक्त पदों हेतु आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के लिए हाईस्कूल तथा अन्य समकक्ष परीक्षा के प्रमाण पत्र में अंकित जन्मतिथि ही मान्य होगी। आवेदक द्वारा जन्मतिथि की पुष्टि हेतु हाईस्कूल अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण का प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है, अन्यथा आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जायेगा।
9. परीक्षार्थी द्वारा परीक्षा हॉल/कक्ष में प्रवेश पत्र एवं दो बॉल पैन (काला/नीला) के अतिरिक्त किसी भी प्रकार की पेंसिल, पाठ्यसामग्री मुद्रित या कागज की प्रतियां, पेजर, मोबाईल, कैलकुलेटर, टैबलेट एवं अन्य आधुनिकतम् इलैक्ट्रानिक उपकरण या किसी अन्य प्रकार की सामग्री को ले जाने या उपयोग करने की अनुमति नही होगी।
10. अनुचित साधनों के प्रयोग एवं परीक्षा भवन में दुराचरण के लिए कठोर दण्ड दिया जायेगा तथा अभ्यर्थी का अभ्यर्थन भी निरस्त कर दिया जायेगा।
11. उक्त परीक्षा वस्तुनिष्ठ बहुविकल्पीय प्रकृति की लिखित परीक्षा होगी, जिसमें ऋणात्मक मूल्यांकन पद्धति अपनाई जायेगी। उम्मीदवार द्वारा दिये गये प्रत्येक गलत उत्तर के लिए या उम्मीदवार द्वारा एक प्रश्न के एक से अधिक उत्तर देने के लिए (चाहे दिये गये उत्तर में से एक सही ही क्यों न हो) उस प्रश्न के लिए दिये जाने वाले अंकों का एक चौथाई ऋणात्मक अंक दिया जायेगा। ओ0एम0आर0 उत्तर पत्रक पर एक वृत्त को ही पूरी तरह नीले/काले बॉल पैन से भरें। एक बार उत्तर अंकित करने के बाद उसे परिवर्तत नही किया जा सकेगा।
12. परीक्षार्थी यह सुनिश्चित करेंगे कि उत्तर प्रत्रक को मोड़ा नही जायेगा और उस पर कोई अन्य निशान लगाये नही जायेंगे। परीक्षार्थी अपना अनुक्रमांक तथा केन्द्र का नाम एवं अन्य प्रविष्टियां उत्तर पत्रक में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त अन्यत्र न लिखें।
13. परीक्षा प्रश्न पुस्तिका (बुकलेट) एवं उत्तर प्रत्रक का ध्यानपूर्वक प्रयोग करें, क्योंकि किसी भी परिस्थिति में (केवल परीक्षा प्रश्न पुस्तिका एवं उत्तर पत्रक की संख्या में भिन्नता की स्थिति को छोड़कर) दूसरी उत्तर पुस्तिका उपलब्ध नही करायी जायेगी।
14. अभ्यर्थी का चयन होने पर पटवारी प्रशिक्षण एवं भूलेख प्रशिक्षण संस्थान अल्मोड़ा में एक वर्ष का प्रशिक्षण स्वयं के व्ययं पर होगा।
15. चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में जिलाधिकारी का निर्णय अन्तिम होगा।

शारीरिक मानक

पुरूष अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊँचाई 168 सेमी0 व महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम 152 सेमी0 अनिवार्य होगी। पर्वतीय मूल के अभ्यर्थियों को 5 सेमी0 की छूट अनुमन्य होगी। पुरूष अभ्यर्थियों के लिए सीना फुलाव के साथ 84 सेमी0, जिसमें न्यूनतम 5 सेमी0 फुलाव अनिवार्य होगा। पर्वतीय मूल के अभ्यर्थियों को 5 सेमी0 की छूट अनुमन्य होगी। महिला अभ्यर्थियों का वजन न्यूनतम 45 कि0ग्रा0 होना चाहिए।

शारीरिक परीक्षा में सफल होने के लिए पुरूष को 60 मिनट में 10 किलोमीटर और महिला अभ्यर्थियों को 35 मिनट में 5 किलोमीटर दौड़ना आवश्यक होगा।

शारीरिक परीक्षा में सफल अभ्यर्थी ही लिखित परीक्षा में सम्मिलित हो सकेगा।

लिखित परीक्षा पाठ्यक्रम

लिखित परीक्षा 200 वस्तुनिष्ठ एवं वहुविकल्पिय प्रश्नों की होगी। जिसमें ऋणात्मक मूल्यांकन पद्धति अपनायी जायेगी। परीक्षा का पाठ्यक्रम निम्नलिखित है :–

1. सामान्य विज्ञान, कम्प्यूटर विज्ञान, इण्टरनेट, भारत का इतिहास, संस्कृति एवं पुरातत्व, भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन, भारतीय राजव्यवस्था, अर्थव्यवस्था, भारत का भूगोल एवं जनांकिकी, लोक प्रशासन, उत्तराखण्ड का भूगोल एवं जनांकिकी, उत्तराखण्ड का आर्थिक, राजनीतिक व प्रशासनिक परिवेश, उत्तराखण्ड के आर्थिक व प्राकृतिक संसाधन, राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय समसामयिक घटनायें, राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय क्रीड़ा एवं खेल–कूद से सम्बन्धित प्रश्न, उत्तराखण्ड राज्य का इतिहास, ऐतिहासिक, पौराणिक एवं पुरातत्व से सम्बन्धित स्थल, पर्यटन एवं धार्मिक स्थल एवं घटनायें, लोक साहित्य, परम्परायें, रीति–रिवाज, वेश–भूषा, मेले एवं त्यौहार, लोक गायन, लोक नृत्य, वाद्य यंत्र आदि।

(100 प्रश्न)

2. सामान्य बुद्धिमता से सम्बन्धित शाब्दिक एवं गैर शाब्दिक दोनों प्रकार के प्रश्न होंगे, उसमें सादृश्यां, समानताओं तथा अन्तरों स्थानिक कल्पना, समस्या समाधान, विश्लेषण, निर्णय लेना, दृश्य स्मृति, विभेद, अवलोकन, सम्बन्ध अवधारण, श्रृंखला, अंकगणितीय गणना, सांख्यिकीय आलेखों एवं रेखाचित्रों के रूप में प्रस्तुत सूचना से निष्कर्ष निकालना व उनका निर्वच करना तथा अन्य विश्लेषण कार्य से सम्बन्धित प्रश्न आदि।

(50 प्रश्न)

3. प्रदेश की प्रचलित भाषायें व बोलियों से सम्बन्धित शब्दावली, हिन्दी भाषा के मुहावरे, वर्तनी, लोकोक्तियां, विलोम, अनेकार्थक, पर्यायवाची, उपसर्ग, प्रत्यय, सन्धि विग्रह, अलंकार, समास, प्रशासनिक एवं विधिक शब्दावली।

(50 प्रश्न)